बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

मई 2018

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

इंडेक्स पेज नं.

(A) अभियंताओं / वास्तुविदों / संवेदकों / राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण 01

(B) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 04

(C) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 06

(D) नाविकों एवं नाव मालिकों प्रशिक्षण 09

(E) नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों / सर्वेक्षकों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 11

(F) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के लिए प्रारूप प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रस्तुतीकरण (दिनांक 17 / 05 / 2018) 12

(G) **Validation Workshop cum Release of the Report on "Air Quality Assessment of Patna** 14

(H) आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 16

(I) बिहार भूकम्पमापी तंत्र 19

(J) **Management of Animal in Emergencies** 20

(K) जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा हेतु जन–जागरूकता एवं मॉकड्रिल की आवश्यकता और तैयारी पर आयोजित बैठक 21

(L) राजगीर के मलमास मेले में अग्नि एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम 22

(M) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, 2018 (1–7 जून) आयोजन की तैयारियाँ 25

(N) **Heat Action Plan** 28

(O) **Mass Messaging/Whatsapp Advisory** 29

(P) अखबारों द्वारा प्रकाशित **Advisory** 30

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बैरगनियां ब्लॉक के क्लास रूम प्रशिक्षण

मासिक प्रतिवेदन (मई 2018)

(A) अभियंताओं / वास्तुविदों / संवेदकों / राज मिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

(1) अप्रैल 2018 तक 77 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया था। मई 2018 में निम्न सूची के अनुसार सीतामढ़ी जिल के कुल 165 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया।

(2) इसके अतिरिक्त दो तिथियों में राजमिस्त्रियों के कुल 33 प्रशिक्षिकों का रिफ्रेशर कोर्स चलाया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सुपी ब्लॉक के राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

मई 2018 में संचालित कार्यक्रमों का विवरणः

Program: 7 days mason training in Sitamarhi district				
Sr. No.	**Name of Block**	**Date**	**Location**	**No. of Participants**
1.	Riga	07-13 May 2018	Block Campus	11
2.	Suppi	07-13 May 2018	Block Campus	30
3.	Majorganj	07-13 May 2018	School Campus, Dumri Kala	19
4.	Bairgania	07-13 May 2018	Block Campus	11
5.	Sonbarsa	21-27 May 2018	High School Kanhauli	25
6.	Baithnaha	21-27 May 2018	Block Campus	25
7.	Parihar	21-27 May 2018	Block Campus	29
8.	Sursand	21-27 May 2018	Block Campus	15
			Total No. of Mason Trained in May 2018	**165**
	2 days Refresher Course of Mason trainers at BSDMA, Patna			
1.	Mason Trainer Refresher Course		17-18 May 2018	No. of Participants in each course: 33
2.	Mason Trainer Refresher Course		30-31 May 2018	

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मेजरगंज के सीओ द्वारा प्रमाण–पत्र का वितरण

रीगा ब्लॉक के राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के दौरान कराए गए मॉडल का निर्माण

(B) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की 10वीं एवं 11वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से जनवरी 2018 से प्रारंभ किया गया है। Training Need की पहचान कर सचिवालय एवं जिला स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का अलग–अलग मॉड्यूल विकसित किया गया तथा तद्नुसार प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया।

वर्तमान में जिला स्तर पर पदस्थापित बि.प्र.से. के पदाधिकारियों का बिपार्ड में प्रशिक्षण चल रहा है। माह अप्रैल 2018 तक कुल 330 पदाधिकारियों को प्रशिक्षिण किया जा चुका है।

माह मई में चार चरणों में कुल 96 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण के आयोजन किया गया है जिसका विवरण निम्न है –

दिनांक (11वीं – 14वीं चरण)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
08–09 मई, 2018	16
15–16 मई, 2018	28
22–23 मई, 2018	24
29–30 मई, 2018	28
कुल	**96**

इस प्रकार अबतक बि0प्र0से0 के 426 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ज्ञातव्य हो कि एक बैच में कुल 45 पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। परंतु इससे कम संख्या में जिलों से पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में योगदान करने के कारण क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित सभी बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों की निर्धारित संख्या में प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हुई है। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से सभी जिलाधिकारियों को निर्धारित संख्या में बि.प्र.से. पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में योगदान हेतु यथा समय विरमित करने हेतु निदेश भेजा गया है।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) के तहत् बाल प्रेरक माड्यूल एवं संदर्भ पुस्तिक हेतु आयोजित कार्यशाला

(C) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

1. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) के तहत् प्रत्येक जिलों के मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अप्रैल में पूरा कर लेने के पश्चात मई माह में सभी 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA), डाइट के प्राचार्य, डाइट के एक व्याख्याता, मिडिया समन्वयक (Media – SSA), समावेशी शिक्षा समन्वयक (SSA) तथा जिला समादेष्टा – होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों क उन्मुखिकरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस उन्मुखीकरण कार्यशाला में प्रत्येक जिले से एक–एक मास्टर प्रशिक्षक भी शामिल हुए। कार्यशाला निम्नानुसार सम्पन्न हुईः–

बैच	दिनांक	उन्मुखीकरण में शामिल होने वाले जिले	कुल प्रतिभागी
प्रथम बैच	14–05–2018	पटना, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, नालन्दा, कैमूर एवं औरंगाबाद	42

द्वितीय बैच	15–05–2018	वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी एवं खगड़िया	47
तृतीय बैच	16–05–2018	गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, बक्सर एवं रोहतास	51
चतुर्थ बैच	17–05–2018	मुंगेर, बांका, बेगुसराय, जमुई, लखीसराय एवं अरवल	34
पंचम बैच	18–05–2018	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया	41
षषठम बैच	19–05–2018	गया, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, भागलपुर एवं पूर्णिया	37
		कुल प्रतिभागी	**252**

इस एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह था कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) के अन्तर्गत जिला स्तर से विद्यालय स्तर तक प्रस्तावित विभिन्न अवयवों (components) के क्रियान्वयन म आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था एवं पर्यवेक्षक हो सके कार्यशाला में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के उनके कार्यदायित्व एवं राज्य स्तर से निर्गत आदेशों–निर्देशों की जानकारी दी गयी एवं इस कार्यक्रय के संचालन एवं अनुश्रवण के विभिन्न बिन्दुओं पर गहन विमर्श किया गया।

2. उपरोक्त कार्यशाला के अतिरिक्त दिनांक 28 से 30 मई तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बाल प्रेरकों के लिए मॉड्यूल एवं सन्दर्भ पुस्तिका के निर्माण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला से 47 ऐसे मास्टर प्रशिक्षकों ने भाग लिया जिन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान कुछ न कुछ रचनात्मकता प्रदर्शित की थी। इस कार्यशाला में बच्चो को केन्द्र में रखकर सुरक्षा कार्यक्रम को विद्यालय में संचालित करने के माध्यम के रूप में कई प्रकार की कहानियाँ, कवितायें, खेल एवं चित्रात्मक प्रस्तुति पर विकसित हुई जिसे बाल प्रेरक पुस्तिका में समाहित किया जाएगा। बाल प्रेरकों के सहयोग से विद्यालयों के फोकल शिक्षक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों एवं सुरक्षित शनिवार की अवधारणा को लागू करेंगे।

3. दिनांक 30 मई, 2018 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस समिति के अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव इसके उपाध्यक्ष हैं। इस बैठक में कार्यक्रम की

प्रगति की समीक्षा की गई एवं इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। साथ ही 4 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस के अंतर्गत पटना के गाँधी मैदान में मेगा मॉक ड्रिल के आयोजन की भी सहमति हुई। यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करायी जाये। तय हुआ कि शिक्षा विभाग/बि.शि.प. आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगा तथा इसक लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा की जायेगी।

5. राज्य स्तर पर आयोजित उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के निदेशानुसार, प्रशिक्षको का जिला/प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 21 मई से बिहार के सभी जिलों में प्रारम्भ हो गया। इस कार्यक्रम के जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 3 दिवसीय है जो जिलावार विद्यालयों की संख्या के आधार पर चलाया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के अनुश्रवण के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्त्व में एक मूल्यांकन दल का गठन किया गया जिसमें प्राधिकरण के नोडल पदाधिकारी, चार मास्टर प्रशिक्षक एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि सदस्य है। इस अनुश्रवण दल ने लगभग 24 जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग की। मई माह में 8 जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इन 8 जिलों में प्रशिक्षण जून माह में प्रारम्भ होगा।

जिला स्तरीय शिक्षा विभागीय एवं अन्य पदाधिकारियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण

(D) नाविकों एवं नाव मालिकों प्रशिक्षण

प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से चयनित 29 जिला में नाविकों एवं नाव मालिकों को सुरक्षित नौका चालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित हस्त पुस्तिका सभी नाविकों एवं नाव मालिकों को उपलब्ध करायी जा रही है एवं प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा रहा है। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार गत माह अप्रैल तक 7 जिलों के 2137 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया गया था। माह मई में 5 जिलों में कुल 715 नाविक एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया गया है। अबतक चलाए गए प्रशिक्षक का विवरण निम्नांकित है:–

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रशिक्षित नाविकों एवं नाव मालिकों की संख्या
1.	भागलपुर	730
2.	कटिहार	220
3.	मधेपुरा	366
4.	सहरसा	190
5.	मधुबनी, ब्लॉक जयनगर	198

6.	दरभंगा	214
7.	समस्तीपुर	219
8.	वैशाली (सहदेई बुजुर्ग और राघोपुर बाढ़ प्रवण ब्लॉक को छोड़कार)	132
9.	पूर्णिया	106
10.	बक्सर	178
11.	सुपौल	199
12.	किशनगंज	99
	कुल	**2851**

इस प्रकार अब तक कुल 2137+715= 2852 नाविक/नाव मालिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अनुश्रवण के दौरान सूचना प्राप्त है कि निम्नांकित 13 जिलों में प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है, परन्तु प्रशिक्षितों की संख्या एवं विवरणी प्राप्त नहीं हो सकी है।

क्रम संख्या	जिला का नाम
1.	पटना
2.	सारण
3.	भोजपुर
4.	खगड़िया
5.	लखीसराय (एक बाढ प्रवण ब्लॉक को छोड़कर)
6.	मुजफ्फरपुर
7.	बैगुसराय
8.	मुंगेर
9.	सिवान
10.	गोपालगंज
11.	पूर्वी चम्पारण
12.	पश्चिमी चम्पारण
13.	शेखपुरा

(E) नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण

नौकाओं के सर्वेक्षण एवं निबंधन हेतु विभिन्न जिलों में नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचित निबंधकों /सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत अप्रैल माह तक कुल 5 बैचों में 06 (अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण) जिलों के कुल 111 निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण NINI, (गायघाट, पटना) में कराया जा चुका है। वर्त्तमान माह मई 2018 की प्रगति निम्नवत है:–

सत्र संख्या	तिथि	प्रशिक्षण में शामिल जिलें	स्थान	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु
1.	16.05.2018 से 18.05.2018	मधुबनी, कटिहार, लखीसराय, सिवान, पूर्वी चम्पारण	NINI गाय घाट, पटना	25
		कुल		**25**

इस प्रकार मई माह तक 11 जिलों के कुल 111+15=136 निबंधकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(F) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के लिए प्रारूप प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रस्तुतीकरण (दिनांक 17/05/2018)

प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (NINI) के सहयोग से **"सुरक्षित तैराकी"** कार्यक्रम के लिए एक प्रारूप प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल की सामुदायिक स्तर पर व्यावहारिकता/उपयोगिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना, वैशाली एवं सारण जिलों के अपर समाहर्ता, (आपदा प्रबंधन), तैराकों/गोताखोरों एवं अन्य हितभागियों के समक्ष दिनांक 17 मई 2018 को प्राधिकरण के सभागार में प्रस्तुतीकरण किया गया । उक्त बैठक मे आये सुझावों क आधार पर प्रशिक्षण मॉडयूल का अद्यतनीकरण किया गया है। इस माड्यूल के अनुसार 6–18 वर्ष की उम्र के बच्चों को डूबने से बचाने हेतु राज्य के उन सभी जिलों में प्रशिक्षण देने की योजना है जो नदियों के किनारे बसे है या जिनसे होकर नदियाँ गुजरती हैं। तत्काल पटना, वैशाली एवं सारण जिलों को पायलट जिलों के रूप में चयनित किया गया है जहाँ NINI में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जिला आपदा

प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित उम्र के बच्चों को सुरक्षित तैराकी का 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। पायलट जिलों से प्राप्त अनुभवों से सीख लेते हुए माड्यूल एवं रणनीति में आवश्यक सुधार कर इस कार्यक्रम को विस्तारित किया जा सकेगा। जून माह में माड्यूल के अनुसार पायलट जिलों के 10–10 मास्टर ट्रेनर्स को, जो तैराकी में निपुण होगे, NINI में प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है।

(G) Validation Workshop cum Release of the Report on "Air Quality Assessment of Patna

"Air Quality Assessment of Patna" विषयक कार्यशाला में वायु प्रदूषण अध्ययन प्रतिवेदन को जारी करते हुए मा0 उप मुख्यमंत्री

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा Indian Institute of Tropical Metrology (IITM), Pune के सहयोग से गतवर्ष अक्टूबर–नवम्बर माह में पटना शहर के 10 (दस) स्थानों पर क्रमानुसार 05–05 दिनों तक वायु प्रदूषण के आँकड़े इकठ्ठे किये गये और IITM के द्वारा इनका विश्लेषण कर एक प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इन आँकड़ों पर आधारित प्रतिवेदन को जारी करने एवं उसके आलोक में की जाने वाली कार्रवाईयों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विमर्श करने हेतु "Air Quality Assessment of Patna" विषय पर आधारित कार्यशाला का

आयोजन प्राधिकरण द्वारा आद्री के सहयोग से दिनांक 09.05.2018 को पटना में किया गया। श्री सुशील कुमार मोदी माननीय उप मुख्यमंत्री–सह– मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग ने उक्त कार्यशाला का उद्घाटन किया एवं उनके द्वारा प्रतिवेदन का विमोचन भी किया गया। इस कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।

कार्यशाला में न केवल प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी बल्कि पटना एवं बिहार में वायु प्रदुषण तथा उसके कुप्रभावों के नियंत्रण एवं शमन के लिए सभावित आवश्यक कारवाईयों पर गहन विमर्श किया गया। इस कार्यशाला में हितधारकों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के विशेषज्ञों द्वारा पैनल चर्चा में भाग लेकर शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए जिसके आलोक में सर्व सम्मति से Patna Declaration जारी किया गया।

मुखिया एवं सरपंचों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

(H) 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय' पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. **राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण–**

बिहार राज्य के बहु–आपदा प्रवणता की पृष्ठभूमि में पंचायत स्तर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी जनजागरूकता के उद्देश्य से सभी जिलों के प्रखंडों से चयनित मुखिया एवं सरपंचों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ''मास्टर ट्रेनर'' का प्रशिक्षण प्राप्त किये मुखिया एवं सरपंचों के माध्यम से जिलों में प्रखंड स्तर

पर पंचायतों के सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों का प्रशिक्षण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा किया जाना है एवं किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर्स इस प्रशिक्षण के माध्यम से जिलों में पंचायत स्तर तक जन समुदाय को विभिन्न आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और

आपदाओं का सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्धन हो सकेगा। इस प्रकार ''बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–2030'' के उद्देश्यों के अनुरूप ''सुरक्षित बिहार'' के संकल्प को पूरा करने में मदद प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल माह तक कुल 15 जिलों

के 251 मुखिया/सरपंच का मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया था। प्राधिकरण द्वारा माह मई 2018 में जिलों द्वारा चयनित मुखिया एवं सरपंचों को ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नुसार आयोजित किया गयाः–

क्रम	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	03–04 मई, 2018	मुजफ्फरपुर, अररिया, कटिहार, पष्चिम चम्पारण, समस्तीपुर एवं सिवान।	47
2	10–11 मई, 2018	वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा एवं नालंदा।	40
3	17–18 मई, 2018	बांका, गोपालगंज, वैशाली एवं सिवान।	28
4	24–25 मई, 2018	जहानाबाद, पूर्णिया, बांका, वैशाली एवं सिवान।	46
5	30–31 मई, 2018	भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया एवं सिवान।	39
		कुल	**200**

इन प्रशिक्षण सत्रों में उन जिलों के भी प्रतिभागी शामिल हुए जो पूर्व में अपने जिलों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण सभों में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस प्रकार मई माह तक 18 बैचों में 25 जिलों के 251+200= 451मुखिया एवं सरपंच के मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण का कार्यक्रम सम्पन्न किया जा चुका है। दिनांक 05–06 जून 2018 को भोजपुर एवं शेखपुरा जिलों के मुखिया एवं सरपंच का मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण निर्धारित है।

2. राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिलों में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण

जिलों में जन प्रतिनिधियों के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलों को आवश्यक वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। अब तक निम्नांकित जिलों ने प्रखंड स्तर पर जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किए जाने की सूचना दी है; प्रशिक्षितों का आँकड़ा उनसे प्राप्त किया जा रहा है ताकि Tata Base तैयार किया जा सकेः

1. मधुबनी 2. मधेपुरा 3. दरभंगा 4. पूर्वी चम्पारण 5. सुपौल 6. पटना 7. सारण 8. सहरसा 9. सीतामढ़ी 10. शिवहर 11. किशनगंज 12. नालंदा 13. सिवान 14. समस्तीपुर 15. मुजफ्फरपुर 16. वैशाली

(I) बिहार भूकम्पमापी तंत्र

(i) भूकम्पमापी तंत्र के केन्द्रीय संग्रहण केन्द्र पटना साइंस कॉलेज में स्थापना के लिए एक M0U पर हस्ताक्षर होना है।

इस माह पटना विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं निबंधक पटना विश्वविद्यालय के साथ बैठक की गई तथा MoU की समीक्षा लंबित है। विभागाध्यक्ष द्वारा संसूचित है कि वे दिनांक 08.06.2018 तक व्यस्त हैं, इसके उपरांत MoU प्रारूप पर विचार कर प्राधिकरण को भजा जाएगा।

(ii) बिहार भूकम्पमापी तंत्र के अंतर्गत 10 क्षेत्रीय वेधशालाओं को निर्माण किया जाना है, जो बिहार राज्य भवन निर्माण निगम निर्माण एजेन्सी के रूप में चयनित है।

निगम से प्राप्त सूचनानुसार गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मोतीहारी एवं छपरा में निर्माण कार्य चल रहा है। इन में से गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर में छत की ढ़लाई हो गई है।

(iii) भूकम्पीय पिलर वेधशाला का एक महत्वपूर्ण अंग है। गोपालगंज में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(iv) शेष प्रस्तावित वेधशालाओं के निर्माण कार्य के लिए भवन निर्माण निगम के उच्चाधिकारियों के साथ वार्त्ता की गई है तथा लगातार उनके साथ संपर्क जारी है।

(J) "Management of Animal in Emergencies" विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों के चार दिवसीय प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु पूर्व तैयारी बैठक (दिनांक 11.05.2018)

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2018 में सुरक्षित आजिविका को सुरक्षित बिहार के पाँच पिलरों में से एक पिलर माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आजिविका का प्रमुख स्त्रोत होने के कारण प्राधिकरण ने आपदाओं के दौरान पशुपालकों की आजिविका का सुरक्षित बनाने की दिशा में गत वर्ष से काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2017 (1–7 जून) में SDRF के चयनित पदाधिकारियों/कर्मियों को बाढ़ के दौरान पशुओं के बचाव विषयक दिवसीय प्रशिक्षण बिहार वेटनरी कॉलेज एवं विश्व पशु सुरक्षा (WAP) नामक संस्था के सहयोग से दिया गया। वर्ष 2017 के नवंबर माह में बिहार वेटनरी कॉलेज एवं WAP तथा पशु तथा मत्स्य संसाधन विभाग के सहयोग से जिलों में पदस्थापित पशु चिकित्सकों के साथ आपदाओं में पशुओं के बचाव एवं देखभाल विषयक कार्यशाला आयोजित कर उन्हें संवेदित किया गया। उक्त कार्यशाला में पशु चिकित्सकों के Training Need की भी पहचान की गयी। कार्यशाला में उभरे Training Need के अनुसार प्राधिकरण ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार वेटनरी कॉलेज, आपदा प्रबंधन विभाग एवं WAP के साथ मिलकर पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण पर कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल विकसित किया गया जिसमें विभिन्न आपदाओं, यथा बाढ़, सुखाड़, अगलगी, शीतलहर एवं लू/गर्म हवा के पशुधन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को दृष्टिगत रख इन आपदाओं से बड़े एवं छोटे सभी तरह के पशुओं के बचाव एवं देखभाल के बिन्दु समाहित किए गए।

उपरोक्त माड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षु पशु चिकित्सकों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण हस्तपुस्तिका का प्रारूप तैयार किया गया। हस्तपुस्तिका के प्रारुप पर WAP, BVC एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के गहन विमर्श कर इसे अंतिम रूप दिया गया एवं इसे मुद्रित करा लिया गया। पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण की तिथि बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2018 के दौरान दिनांक 4 जून रखी गयी जिसके पूर्व प्रशिक्षण की सभी तैयारियों पूरी कर ली गयी।

(K) जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा हेतु जन–जागरूकता एवं मॉकड्रिल की आवश्यकता और तैयारी पर विमर्श

दिनांक 17.05.2018 को विभिन्न आपदाओं यथा भूकम्प, बाढ़, अग्नि, विभिन्न आपदाओं में पशुओं का बचाव (Animal Rescue), सड़क दुर्घटना, Pre Hospital Treatment तथा अन्य स्थानीय आपदाओं जैसे सर्पदंश, डूबने की घटना, चक्रवाती तूफान, नाव दुर्घटना आदि से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिला में नियमित रूप से जन–जागरूकता के कार्यक्रम एवं मॉकड्रिल के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी की आवश्यकता के मद्देनजर योजना सूचना से संबंधित बैठक प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों जैसे पुलिस मुख्यालय, अग्निशाम सेवाएँ, विभिन्न जिलों के आपदा प्रभारी, NDRF, SDRF एवं सिविल डिफेन्स के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। गहन विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि जिलों में नियमित रूप से जन–जागरूकता के कार्यक्रम एवं मॉकड्रिल आयोजन संबंधी एक अवधारणा पत्र विकसित कर पूरी योजना की रूपरेखा तय की जाएगी। योजना का उद्देश्य होगाः राज्य में आपदाओं से 'सुरक्षा की संस्कृति' (Culture of Resilience) विकसित करना। योजनानुसार कार्यक्रम का संचालन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर करेंगे।

राजगीर के मलमास मेले में अग्नि एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

(L) राजगीर के मलमास मेले में अग्नि एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

नालन्दा जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ऐतिहासिक और पौराणिक राजगीर मलमास मेला का उद्घाटन इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार के कर कमलों से दिनांक 16 मई 2018 को सम्पन्न हुआ।

राजगीर मलमास मेले में लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुँचते हैं। इन तीर्थयात्रियों के मनोरंजन के लिए तरह–तरह के झूले, सर्कस, खाने–पीने की दुकानें लगती है। पूर्व वर्ष के मेलों में कुछ दुकानों में अगलगी की घटनाऐं घटित हुई हैं।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

पूर्व वर्षों की अगलगी की घटनाओं की पुनावृत्ति रोकने एवं अगलगी से सुरक्षा हेतु जिला पदाधिकारी, नालंदा के अनुरोध पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में राज्य आपदा रिस्पांस बल, सिविल डिफेंस एवं बिहार अग्निशाम सेवाऐं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा दिनांक 12 मई, 2018 को राजगीर के आर0आई0सी0सी0 भवन में मलमास मेला में लगाये जा रहे दुकानों के दुकानदारों के बीच अग्निकांड से बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा तथा सुरक्षित निकास पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी नालंदा एवं प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ–साथ जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 200 प्रतिभागियों को सर्वप्रथम अग्नि से सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं उसके बाद प्रतिभागियों को मॉकड्रिल के माध्यम से आग बुझाने के तरीकों का (बिजली के शार्ट सर्किट से लगने वाली आग, गैस सिलेण्डर की आग आदि) बताया एवं उनसे अभ्यास करवाया गया।

तत्पश्चात प्राथमिक चिकित्सा विशेषकर आग लगने पर किस तरह के उपायों को अपनाया जाय एवं ''क्या करें, क्या न करें'' पर विस्तृत जानकारी SDRF के टीम के द्वारा दी गई।

घरों अथवा दुकानों में अगलगी होने पर सुरक्षित निकास के तरीकों को सिविल डिफेंस के अधिकारियों के द्वारा बताया गया।

इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम को जिला प्रशासन के अनुरोध पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा SDRF, अग्निशमन सेवाए एवं सिविल डिफेंस के सहयोग से पूर्ण किया गया।

(M) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, 2018 (1–7 जून) आयोजन की तैयारियाँ

वर्ष 2012 में राज्य सरकार के निर्णय (आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–125/आ0प्र0 दिनांक–13.01.2012) के अनुसार पूरे राज्य में प्रत्येक वर्ष दिनांक– 07 जून तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसके आयोजन का दायित्व बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपा गया है। इस वर्ष बाद सुरक्षा सप्ताह के राज्य स्तर एवं जिला में आयोजन की तैयारी हेतु सभी हितधारकों के साथ दिनांक 11.05.2018 को प्राधिकरण के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्न बिन्दु उभर कर आए :–

- वर्तमान में बिहार में बाढ़ ने अपना स्वरूप बदल दिया है और अब सोन नदी भी बाढ़ से प्रभावित हो रही है।
- वर्ष 2016 में राज्य के 31 जिले एवं वर्ष 2017 में बिहार के 19 जिले बाढ से प्रभावित हुए थे। वर्ष 2017 में नेपाल एवं राज्य में अत्याधिक वर्षा होने के कारण flash flood की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें 600 से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।
- Urban flooding शहरों की प्रमुख समस्या है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। 2016 म निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्र के आलोक में जिलों द्वारा सभी जल निकायों यथा झील, पोखर, पैईन, आहर, ड्रेनेज सिस्टम, तलाब, नदी आदि को अतिक्रमण से मुक्त कराना है जिससे जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला जा सके एवं जल संचयन किया जा सके।
- Traditional Knowledge and Practises को शामिल कर बाढ़ पूर्व तैयारियों को मुक्कमल बनाने की कोशिश की जा सकती है।
- बाढ़ में जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालने एवं चारे का प्रबंध किए जाने के संबंध में कार्रवाई आवश्यक है।
- बाढ़ के दौरान drowning एवं Boat Capsizing की कई घटनाएं होती है तथा मवेशियों को बाहर निकालने में दिक्कत होती है।
- अतः इस सप्ताह ऐसे कार्यक्रमों किए जाऐं जिसका प्रत्यक्ष लाभ लोगों को मिल सके।

2. बैठक में विचार विमर्श के उपरांत राज्य एवं जिला स्तर पर निम्न कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्णय लिए गए:

2.1 **बाढ़ सुरक्षा सप्ताह–2018 (1–7 जून) पर प्रस्तावित राज्यस्तरीय कार्यक्रम**

	दिनांक	कार्यकारी एजेन्सी	कार्यक्रम
1.	01 जून, 2018	बि0एस0डी0एम0ए0	शहरी बाढ़ (Urban flooding) की रोकथाम एवं शमन उपायों पर राष्ट्रीय विमर्श (National Consultation)
2.	02–06 जून, 2018	SDRF/NDRF/BSDMA/	पटना एवं वैशाली के संबंधित जिला प्रशासन द्वारा चयनित दियारा क्षेत्रों में जन जागरूकता एवं बाढ़ में पशुओं के बचाव संबंधी मॉकड्रिल का आयोजन
3.	04 जून, 2018	BSDMA/AHD/BVC	Commencement of Training Program of Vet doctors on "Management of Animals in Emergencies."
4.	05 जून, 2018	BSDMA/UNICEF	पारंपरिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर राज्य स्तरीय विमर्श
5.	07 जून, 2018	BSDMA/UNICEF/UDD	आपदाओं से संकटग्रस्त समूहों के बचाव एवं राहत विषय पर राज्य स्तरीय विमर्श

2.2 जिलास्तरीय कार्यक्रमः राजस्व विभाग के उपरोकित परिपत्र के आलोक में जिलों में अहर, पैईंन, पोखर, तलाब आदि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ करना।

- जल संसाधन विभाग के सहयोग से सुपौल एवं मधुबनी जिलों में Anti Erosion work वाले स्थानों पर जन–जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया जाना। अन्य जिलों में भी Public Awarness on Safety of embankment पर जन–जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन।
- नदियों में Danger level को चिन्हित कर Indicator लगाना। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा Central Water Commission तथा सिचाई विभाग के साथ समन्वय कर कार्य को सम्पादित किया जाएगा। बाढ़ पूर्व चेतावनी Indicater नदियों में लगाना आवश्यक है।

- पी0एच0ई0डी0 द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जिलों में बाढ़ के दौरान स्वच्छ पेयजल विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना जिसमें जिला प्रशासन की अहम भूमिका होगी।
- आई.सी.डी.एस. द्वारा बाढ़ प्रभावित 28 जिलों के सी.डो.पी.ओ. के लिए प्रमण्डलीय स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी, बाढ़ के समय एवं बाढ़ पश्चात् पर किये जाने वाले कार्यों पर प्रशिक्षण का आयोजन। Vulnerable लोगों की सूची तैयार करेंगे।
- राज्य के चयनित 29 जिलों में जहां सुरक्षित नौका परिचालन पर NINI के सहयोग से BSDMA द्वारा मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया, उन सभी जिलों में नौकाओं का सर्वेक्षण/निबंधन पूरा कर लिया जाएगा एवं जहाँ नाविकों/मालिकों का प्रशिक्षण अभी नहीं हो सका हो, वहाँ प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।
- जिन प्रखंडों के मुखिया आदि का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण BSDMA द्वारा पूरा कर लिया गया है, उनमें पंचायत प्रतिनिधियों का लंबित प्रशिक्षण इस सप्ताह में सम्पन्न करा लिया जाएगा। जिन प्रखंडों में पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षित कर लिये गये हैं, उनमें पचायतों में वार्ड सभा/ग्राम सभा का आयोजन कर आमजन को संवेदित किया जाएगा।
- पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा बाढ़ के समय नर्सरी की सुरक्षा पर कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित 28 जिलों के लिए होगा।
- उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी पूर्व वर्षों की भांति बाढ़ सुरक्षा के संबंध में जन–जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर संचालित करेंगे।

(N) Heat Action Plan

प्राधिकरण द्वारा लू से बचाव हेतु **Heat Action Plan (HAP)** का सूत्रण किया जा रहा है। इसी क्रम मेंदिनांक 10.04.2018 को पटना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संबंधित विभागों से हितधारियों से **HAP** में उनके लिए प्रस्तावित कार्य योजना के संबंध में विमर्श कर **"Heat Action Plan"** को अंतिम रूप देना था। इस कार्यशाला में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों, विभिन्न जिलों के उप/अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) एवं नगर निगम कव पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में उनके सुझावों पर विचार कर **"Heat Action Plan"** को अंतिम रूप दिया गया तथा उस अनुमोदन हेतु प्राधिकरण अध्यक्ष–सह–माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है।

(O) Mass Messaging/Whatsapp Advisory

मई माह में प्राधिकरण द्वारा **आग तथा ठनका से बचने के उपाय** पर लगभग छः लाख व्यक्तियों, यथा, विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, आशा कर्मचारियों, जीविका दीदी, शिक्षकों आदि को Mass Messaging के द्वारा जागरूक करने की कोशिश की गयी।

मई माह में अगलगी तथा ठनका से बचन के उपायों पर Mass Messaging/Whatsapp Advisory :–

गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में गर्म पछुआ हवा के कारण अगलगी की संभावना बढ़ रही है। अगलगी से बचाव हेतु कृपया ध्यान दें:– 1. दिन का खाना 9 बजे सुबह के पहले एवं रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लें। 2. हवन–अनुष्ठान सुबह 9 बजे से पूर्व कर लें। 3. खाना बनाकर चूल्हे की आग को पानी से अच्छी तरह बुझा दें। 4. खेत–खलिहान के आस–पास बीड़ी–सिगरेट न पीयें, न पीने दें। 5. खेतों मे फसल काटने के बाद बचें डंठल को नहीं जलाए। 6. आग लगने पर फायर ब्रिगेड (101 नबर) एवं प्रशासन को सूचित करें एवं सहयोग करें।	**आसमान मे बिजली के चमकने/गरजने/कड़कने के समय :–** यदि आप खुले में हों तो शीघ्रतिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजे जैसे – लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। उँचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में खड़े हों। रेडियों और टी0वी0 पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(P) अखबारों में प्रकाशित Advisory

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर तथा विभिन्न **Safety weeks** के दौरान जन–जागरूकता के लिए **Advisory** अखबारों में प्रकाशित की जाती है जिससे कि लोग आपदाओं से सचेत एवं सतर्क रह सकें।

मई 2018 में प्राधिकरण द्वारा ठनका पर **Advisory** जारी किया गया है।